संख्या:140 /2019/400/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद झाँसी की विधान सभा क्षेत्र-गरौठा,बबीना,झांसी नगर एवं मऊरानीपुर से संबंधित कार्यो हेतु रू. 1941.69 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 1791.79 (रूपये सत्रहा करोड़ इक्यानवे लाख उन्यासी हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	गरौठा	विकास खण्ड गुरसरायं के अंतर्गत सिमरधा से पुरा तक सम्पर्क मार्गका निर्माण	4.700	299.79	149.89
2	गरौठा	विकास खण्ड मोंठ के अंतर्गत सेरसा से लोहागढ़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण	3.900	199.84	199.84
		योग वि0स0 क्षेत्र गरौठा	**8.60**	**499.63**	**349.73**
3	बबीना	विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत हीरापुर के रेलवे क्रासिंग से छोटा हीरापुर तक सड़क निर्माण कार्य	0.490	31.02	31.02
4	बबीना	विकास खण्ड बड़ागॉव ग्राम पंचायत पालर के गढमऊ पालर सम्पर्क मार्ग से ढिमरपुर पूछा मजरा तक सड़क निर्माण कार्य	0.293	18.68	18.68
5	बबीना	विकास खण्ड चिरगांव के चिरगांव बमनुआं में मेनरोड से रामजानकी मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य	0.375	31.73	31.73
6	बबीना	विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत रसीना के रतनपुर में पक्की सड़क से राकेश पाल के घर तक सड़क निर्माण कार्य	0.085	5.63	5.63
7	बबीना	विकास खण्ड बड़ागॉव ग्राम पंचायत भूपनगर में पूरन सिंह राजपूत के मकान से भाग मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य	0.095	7.16	7.16
8	बबीना	विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम पंचायत लुहरगांव में स्कूल से हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.500	34.80	34.80
9	बबीना	विकास खण्ड बड़ागांव ग्राम पंचायत मवई गिर्द से खिरिया तक सड़क निर्माण कार्य	0.400	24.05	24.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
10	बबीना	विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम पंचायत मोंडकलां में रामबाबू कुशवाहा के मकान से मोडखुर्द तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.300	23.64	23.64
11	बबीना	विकास खण्ड नगीना ग्राम पंचायत मानपुर हाईवे से मानपुर गांव तक सड़क निर्माण कार्य	0.730	87.26	87.26
12	बबीना	विकास खण्ड बड़ागांव ग्राम तैंदोल तिगैला से प्रा0वि0 तैंदोल तक सड़क निर्माण कार्य	0.106	12.24	12.24
13	बबीना	विकास खण्ड चिरगांव के पिचरगांव नगर में हजारी दरवाजे से कप्तान सिंह के मकान होते हुए भाण्डेर रोड सम्पर्क मार्ग तक मार्ग निर्माण	0.500	37.38	37.38
14	बबीना	विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत हीरापुर के मोहल्ला आनन्दपुर में मेनरोड से फूलसिंह सहारिया के मकान तक सड़क का निर्माण	0.300	18.67	18.67
15	बबीना	विकास खण्ड बड़ागांव ग्राम पंचायत जौरी बुजुर्ग में प्रभू अहिरवार के मान से जौंरी पालर सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य	0.255	18.91	18.91
16	बबीना	विकास खण्ड चिरगांव ग्राम पंचायत डबरा बुजुर्ग में मेन सड़क से गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.600	38.18	38.18
17	बबीना	विकास खण्ड बबीना ग्राम पंचायत सिमरावारी के तिलक नगर से बादली प्रा0वि0 तक सड़क निर्माण	0.820	51.67	51.67
18	बबीना	विकास खण्ड बड़ागांव ग्राम पंचायत पाडरी में इन्द्रा मिश्रा के मकान से कुशवाहा डेरा तक सड़क निर्माण	0.526	39.38	39.38
19	बबीना	विकास खण्ड चिरगांव ग्राम पंचायत बमनुआं में बीज गोदाम से मरघट तक सड़क का निर्माण	0.490	19.08	19.08
		योग वि0स0 क्षेत्र बबीना	**6.865**	**499.48**	**499.48**
20	झांसी नगर	मेडिकल कालेज गेट नं0 1 के सामने कैमासन मंदिर के गेट से श्री तनवीर आलम (पूर्व पार्षद) के मकान की ओर सड़क का निर्माण	0.215	18.39	18.39
21	झांसी नगर	मेडिकल कालेज गेट नं0 1 के सामने श्री तनवीर आलम (पूर्व पार्षद) के मकान से कैमासन मंदिर की ओर सड़क का निर्माण	0.250	21.36	21.36
22	झांसी नगर	राजगढ़ से बिजौली बल्लमपुर रोड की ओर की ओर सड़क का निर्माण	1.000	32.61	32.61
23	झांसी नगर	बिजौली से चौकापाठा की ओर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.650	28.37	28.37
24	झांसी नगर	चौकापाठा से बिजौली पेट्रोल पम्प की ओर सड़क का निर्माण	0.650	25.55	25.55
25	झांसी नगर	बिजौली से बल्लमपुर रोड राडगढ़ (राजगढ़) की ओर सड़क का निर्माण	1.100	38.70	38.70
26	झांसी नगर	सहारा कालौनी से पंचवटी कालौनी की ओर सड़क का निर्माण	0.600	58.29	58.29
27	झांसी नगर	पंचवटी कालोनी से सहारा कालोनी के मध्य भाग में सड़क का निर्माण	0.600	58.29	58.29
28	झांसी नगर	पंचवटी कालोनी से सहारा कालोनी की ओर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.615	59.73	59.73

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
29	झांसी नगर	पाल कालोनी से बूढा की ओर नहर की पटरी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.900	31.01	31.01
30	झांसी नगर	बूढा में नहर की पटरी में श्री बलवीर सिंह के मकान से पाल कालौनी की ओर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.925	31.87	31.87
31	झांसी नगर	बूढा में नहर की पटरी में श्री बलवीर सिंह के मकान की ओर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.920	31.69	31.69
32	झांसी नगर	भगवन्तपुरा दिगारा बाईपास में शिवआश्रम से रॉयल प्रेस की ओर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.275	29.89	29.89
33	झांसी नगर	भगवन्तपुरा दिगारा बाईपास से रॉयल प्रेस की ओर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.315	34.18	34.18
		योग वि0स0 क्षेत्र झांसी नगर	**9.015**	**499.93**	**499.93**
34	मऊरानीपुर	बंगरा से ग्राम कटेरा देहात के बखलिया खिरक में श्री कुवंरलाल की दुकान से लेकर श्री जानकी प्रसाद राजपूत के मकान की ओर सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.425	28.88	28.88
35	मऊरानीपुर	बंगरा से ग्राम बोढ़ा में श्री वृन्दावन पटेरिया के मकान से लेकर श्री ठाकुर बाबा के स्थान तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.400	27.09	27.09
36	मऊरानीपुर	विकास खण्ड बंगरा से ग्राम बुढिया-बिजरवारा सम्पर्क मार्ग से हीरापुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.800	44.13	44.13
37	मऊरानीपुर	विकास खण्ड बंगरा के रानीपुर निवाडी सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 से आजादपुरा मजरा तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.500	27.84	27.84
38	मऊरानीपुर	ग्राम झाकरी में श्री भूरे कुशवाहा के मकान से लेकर श्री मनीराम कुशवाहा के मकान की ओर सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.390	31.87	31.87
39	मऊरानीपुर	ग्राम ढकरवारा की फूलपुर खिरक में श्री बालकिशुन पाठक के मकान से लेकर श्री बलदेव श्रीवास के मकान की ओर सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.780	65.36	65.36
40	मऊरानीपुर	ग्राम घाटकोटरा में मेन रोड से लेकर कुशनगर मजरा में श्री हल्के कुशवाहा के मकान की ओर सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.540	45.86	45.86
41	मऊरानीपुर	ग्राम कोटरा में मेढकी वाली रास्ता में श्री सुखलाल कुशवाहा के मकान से लेकर श्री जमुना कुशवाहा के मकान की ओर सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.480	39.55	39.55
42	मऊरानीपुर	विकास खण्ड बामौर के ग्राम बरमपुरा में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर श्री काशी प्रसाद कुशवाहा के मकान तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.300	17.84	17.84
43	मऊरानीपुर	विकास खण्ड बामौर के ग्राम शमशेरपुरा में तालाब से लेकर श्री सर्वेश यादव के मकान तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.190	14.39	14.39
44	मऊरानीपुर	विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम बकुआं खुर्द में श्री बाबूलाल राजपूत के मकान से श्री बजरंगी बब्बा के मंदिर तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.400	32.19	32.19
45	मऊरानीपुर	विकास खण्ड बगरा के कटेरा पडरा मेन रोड से नायक खिरक तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.930	47.36	47.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	विo सo क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
46	मऊरानीपुर	विकास खण्ड बगरा के ग्राम इमलिया में उल्दन-टेहरौली मेन रोड से तलैया से लेकर श्री धनुषधारी मंदिर तक सीoसीo रोड का निर्माण	0.320	20.29	20.29
		योग विoसo क्षेत्र मऊरानीपुर	**6.455**	**442.65**	**442.65**
		योग जनपद झांसी	**30.935**	**1941.69**	**1791.79**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-1 से 19 तथा 34 से 46 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा क्रमांक-20 से 33 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:140/2019/400(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, झांसी।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी झांसी।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,झांसी।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।